रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-23112022-240503 CG-MH-E-23112022-240503

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/अग्रहायण 1, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/AGRAHAYANA 1, 1944

No. 602]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 21 नवम्बर, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/107.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे:
 परंतु यह कि अनुसूची-VI के भाग-क के पैरा (9) में किए गए संशोधन उन सभी निर्गमों (इश्यू) के मामले में
 लागू होंगे, जहाँ प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस (रैड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस) कंपनी रजिस्ट्रार के पास, इस अधिसूचना के
 राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को या उसके बाद, दाखिल किया जाए।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में, —
 - I. विनियम 25 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों और चिह्न "बोर्ड के उस संबंधित प्रादेशिक कार्यालय में दाखिल करेगा, जिसके क्षेत्राधिकार में निर्गमकर्ता कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित हो" के स्थान पर शब्द "बोर्ड के पास दाखिल करेगा" आ जाएंगे।
 - II. अध्याय-II के बाद और अध्याय-III से पहले, निम्नलिखित अध्याय-IIक जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

7734 GI/2022

"अध्याय-IIक

मुख्य बोर्ड (मेन बोर्ड) पर पहले प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करके आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) लाना

परिभाषाएँ

59क. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज" का अर्थ है इस अध्याय के तहत बोर्ड के पास दाखिल किया गया प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट);
- (ख) "पहले दाखिल किए गए प्रस्ताव दस्तावेज" का अर्थ है इस अध्याय के तहत बोर्ड के पास 'पहले दाखिल किया गया प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' या 'अपडेट किया हुआ प्रारूप प्रारंभिक (ड्राफ्ट रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस-l' या 'अपडेट किया हुआ प्रारूप प्रारंभिक (ड्राफ्ट रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस-ll';
- (ग) "अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस I" का अर्थ है बोर्ड के पास 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी किए गए अभिमतों के अनुसार पालन करने के बाद, बोर्ड के पास 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' का अपडेट किया हुआ रूप;
- (घ) "अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस II" का अर्थ है 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस I' के संबंध में जनता से प्राप्त टिप्पणियों के अनुसार बदलाव आदि करने के बाद, बोर्ड के पास दाखिल किए गए 'प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस I' का अपडेट किया हुआ रूप।

इस अध्याय का लागू होना

- **59ख.** (1) इन विनियमों के अध्याय-II के तहत मुख्य-बोर्ड (मेन बोर्ड) पर निर्धारित प्रतिभूतियों का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) लाने की बजाय, निर्गमकर्ता (इश्युअर) इन अध्याय के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रतिभूतियों का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव ला सकेगा।
- (2) यदि इस अध्याय में किसी विषय विशेष के प्रावधान का उल्लेख न हो, तो उस मामले में अध्याय—II के प्रावधान इस अध्याय के प्रावधानों के तहत लाए गए आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के संबंध में *यथावश्यक परिवर्तन सिहत* लागू होंगे:

परंतु यह कि इन विनियमों के विनियम 8 और विनियम 15 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस – l' को दाखिल किए जाने के समय लागू होंगे ।

बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंजों के पास पहले दाखिल किया जाने वाला प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डाक्यूमेंट)

- **59ग.** (1) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने से पहले, निर्गमकर्ता (इश्युअर) बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज की तीन प्रतियाँ, **अनुसूची-IV** के अनुसार, **अनुसूची-III** में यथा निर्धारित फीस के साथ, अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) [लीड मैनेजर] के माध्यम से, दाखिल कर सकेगा।
- (2) निर्गमकर्ता (इश्युअर) उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) के पास भी 'पहले दाखिल किया जाने वाला प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' दाखिल करेगा जहाँ निर्धारित प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास, अपने संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) की (जहाँ वे व्यक्ति हों) स्थायी खाता संख्या, बैंक खाता संख्या तथा पासपोर्ट संख्या, और जहाँ संप्रवर्तक निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हों वहाँ स्थायी खाता संख्या, बैंक खाता संख्या, कंपनी रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) संख्या या वैसी ही कोई अन्य संख्या और उस कंपनी रजिस्ट्रार का पता जिसके पास संप्रवर्तक (प्रोमोटर) रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) हो, प्रस्तुत करेगा।
- (3) उप-विनियम (1) के तहत 'पहले दाखिल किया गया प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' जनता के लिए (पब्लिक डोमेन में) उपलब्ध नहीं होगा।
- (4) अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' के साथ बोर्ड को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा (करेंगे):
 - (क) प्रमाणपत्र, जिसमें यह पुष्टि की जाए कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) तथा अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के बीच करार (एग्रीमेंट) कर लिया गया है;
 - (ख) अनुसूची-V के **प्ररूप-कक** के अनुसार 'पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट);

- (ग) संपरिवर्तनीय ऋण लिखतों (कन्वर्टिबल डैट इंन्सट्र्मेंट्स) को जारी किए जाने (के निर्गमन) के मामले में, अनुसूची-V के प्ररूप-ख के अनुसार डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) की ओर से 'पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट);
- (घ) बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए फार्मेट में, निर्गमकर्ता (इश्युअर) और अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) की ओर से यह वचन कि वे लाए जाने वाले निर्गम (इश्यू) के संबंध में न तो प्रचार-प्रसार (मार्केटिंग) करेंगे और न ही विज्ञापन जारी करेंगे:
 - परंतु यह कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) के निदेशक मंडल की बैठक [जिसमें सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) को मंजूरी दी जाती हो] की तारीख से लेकर 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस I' को दाखिल करने की तारीख या 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' को वापस लेने की तारीख तक की अविध के दौरान किसी भी मीडिया में जारी की जाने वाली या प्रकाशित की जाने वाली सभी सार्वजनिक सूचनाएं वैसे ही जारी या प्रकाशित की जाती रही हैं।
- (5) निर्गमकर्ता (इश्युअर), पहले प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज को दाखिल करने की तारीख से दो दिनों के भीतर, व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र, व्यापक परिचालन वाले एक हिंदी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र तथा उस स्थान पर व्यापक परिचालन वाले प्रादेशिक भाषा के एक समाचारपत्र, जहाँ निर्गमकर्ता का रिजस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय स्थित हो, में एक सार्वजनिक घोषणा करेगा, जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि 'पहले दाखिल किया जाने वाले प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' (ड्राफ्ट ऑफर डाक्यूमेंट) दाखिल कर दिया गया है लेकिन उसमें लाए जाने वाले निर्गम (इश्यू) के संबंध में कोई अन्य जानकारी नहीं दी जाएगी:

परंतु यह कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) सार्वजनिक घोषणा में यह उल्लेख करेगा कि 'पहले दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव दस्तावेज' को दाखिल करने का यह अर्थ नहीं है कि निर्गमकर्ता आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाएगा ही ।

- (6) बोर्ड, निम्नलिखित तारीखों में से जो अंतिम तारीख हो उस तारीख से तीस दिनों के भीतर, 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' के संबंध में बदलाव सुझा सकेगा या अभिमत जारी कर सकेगा (यदि ऐसा किया जाना हो):
 - (क) उप-विनियम (1) के तहत 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' के प्राप्त होने की तारीख; या
 - (ख) अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) से संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने की तारीख, जहाँ बोर्ड ने उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा हो या कोई और जानकारी मांगी हो; या
 - (ग) किसी विनियामक (रेग्यूलेटर) या एजेंसी से स्पष्टीकरण या जानकारी प्राप्त होने की तारीख, जहाँ बोर्ड ने ऐसे विनियामक या एजेंसी से कोई स्पष्टीकरण मांगा हो या जानकारी मांगी हो; या
 - (घ) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करते हुए जारी किए गए पत्र की प्रति प्राप्त होने की तारीख; या
 - (ङ) इन विनियमों के विनियम 59घ के अनुसार, अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूश्नल बायर) के साथ चर्चा हो जाने की सूचना दिए जाने की तारीख; या
 - (च) इन विनियमों के विनियम 59ङ के अनुसार, बकाया संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) को बदले जाने (संपरिवर्तित / कन्वर्ट किए जाने) की की जानकारी या किसी अन्य अधिकार के प्रयोग की जानकारी बोर्ड को दिए जाने की तारीख, जिससे कि कोई व्यक्ति इक्विटी शेयर प्राप्त करने के किसी विकल्प का हकदार बन जाएगा।
- (7) यदि बोर्ड 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' के संबंध में कोई बदलाव सुझाता है या अभिमत जारी करता है, तो निर्गमकर्ता (इश्युअर) तथा अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' में ऐसे बदलाव करेगा (करेंगे) और बोर्ड द्वारा जारी किए गए अभिमतों के अनुसार पालन करने के बाद बोर्ड के पास 'अपडेट किया हुआ प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस I' प्रस्तुत करेगा (करेंगे):

परंतु यह कि इन विनियमों के विनियम 59घ के अनुसार, अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूश्नल बायर) के साथ चर्चा हो जाने की जानकारी बोर्ड को दिए जाने की तारीख और 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस–l' को दाखिल किए जाने की तारीख के बीच कम से कम सात कार्य-दिवसों का अंतर होगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, 'अपडेट किया हुआ प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस–l' हर तरह से पूरा होगा और, यथास्थिति, इन विनियमों तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार होगा ।

- (8) अग्रणी प्रबंधक बोर्ड द्वारा अभिमत जारी किए जाने के बाद, बोर्ड के पास निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा (करेंगे):
 - (क) यह प्रमाणित करते हुए कथन कि बोर्ड द्वारा सुझाए गए सभी बदलाव आदि प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) में कर लिए गए हैं;
 - (ख) प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने के समय, अनुसूची-V के प्ररूप-गक के अनुसार 'पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट)।
- (9) 'अपडेट किया हुआ प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस I' जनता की टिप्पणियों (यदि कोई हों) हेतु उसे दाखिल किए जाने की तारीख से कम से कम इक्कीस दिनों की अविध तक, बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों [जहाँ निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो] और निर्गम (इश्यू) से जुड़े अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के वेबसाइटों पर डालकर सार्वजनिक किया जाएगा:

परंतु यह कि 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस – I' को दाखिल करने के बाद, जारी की जाने वाली सभी सार्वजनिक सूचनाएँ, प्रचार सामग्री, विज्ञापन और अनुसंधान रिपोर्टें **अनुसूची - IX** के प्रावधानों का पालन करते हुए जारी की जाएंगी।

- (10) निर्गमकर्ता (इश्युअर), 'अपडेट किया हुआ प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस ।' दाखिल किए जाने की तारीख से दो दिनों के भीतर, व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र, व्यापक परिचालन वाले एक हिंदी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र तथा उस स्थान पर व्यापक परिचालन वाले प्रादेशिक भाषा के एक समाचारपत्र, जहाँ निर्गमकर्ता का रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय स्थित हो, में एक सार्वजनिक घोषणा करेगा, जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि 'अपडेट किया हुआ प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस ।' दाखिल कर दिया गया है और जिसके माध्यम से जनता से 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस ।' में किए गए प्रकटीकरणों (डिस्क्लोज़र) [दी गई जानकारी] के संबंध में बोर्ड, निर्गमकर्ता (इश्युअर) या अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) [लीड मैनेजर] को अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए कहा जाएगा।
- (11) अग्रणी प्रबंधक, उप-विनियम (9) में निर्धारित अविध के समाप्त होने के पश्चात्, उस अविध के दौरान 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस I' के संबंध में उसे (उन्हें) या निर्गमकर्ता (इश्युअर) को जनता से प्राप्त टिप्पणियों तथा तदनुसार किए जाने वाले ऐसे बदलावों, यदि कोई हों, के ब्यौरे बोर्ड के पास प्रस्तुत करेगा (करेंगे), जो 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस I' में किए जाने अपेक्षित हों।
- (12) निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस I' में ऐसे बदलाव करेंगे और कंपनी रजिस्ट्रार या उपयुक्त प्राधिकारी (जैसा लागू हो) के पास प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) दाखिल करने से पहले 'अपडेट किया हुआ प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस – II' बोर्ड के पास प्रस्तुत करेंगे।
- (13) अग्रणी प्रबंधक कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने से पहले बोर्ड के पास निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा (करेंगे):
 - (क) यह प्रमाणित करते हुए कथन कि बोर्ड द्वारा सुझाए गए सभी बदलाव आदि प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) में कर लिए गए हैं;
 - (ख) प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने के समय, अनुसूची-V के प्ररूप-गक के अनुसार "पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र" (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट);
 - (ग) निर्गम (इश्यू) के खुलने से पहले, संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) से अंशदान के रूप में प्राप्त रकम की एवज में संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) को निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) आबंटित करने के लिए निर्गमकर्ता के निदेशक मंडल द्वारा पारित किए गए संकल्प की प्रति;
 - (घ) निर्गम के खुलने से पहले, कानूनी लेखापरीक्षक (स्टैटयूटरी ऑडिटर) का प्रमाणपत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि संप्रवर्तकों का अंशदान इन विनियमों के अनुसार प्राप्त हो गया है, जिसके साथ उन संप्रवर्तकों के नाम तथा पते दिए जाएँ जिन्होंने संप्रवर्तकों के अंशदान में योगदान दिया हो और जिसके साथ ऐसे अंशदान हेतु उनमें से प्रत्येक द्वारा अदा की गई तथा निर्गमकर्ता (इश्युअर) के बैंक खाते में जमा कराई गई रकम के ब्यौरे भी दिए जाएँ;
 - (ङ) जब निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने **अनुसूची-IX** के पैरा 4 के अनुसरण में सार्वजनिक सूचना जारी करके किसी महत्त्वपूर्ण घटना की जानकारी दी हो, तो **अनुसूची-V** के **प्ररूप-घक** के अनुसार 'पूरी तत्परता बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) ।

- (14) कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के बाद, प्रस्ताव दस्तावेज की प्रति अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) के माध्यम से बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास भी जल्द से जल्द दाखिल की जाएगी।
- (15) 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' और 'प्रस्ताव दस्तावेज' की सॉफ्ट कॉपी भी बोर्ड को दी जाएगी।
- (16) निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्ताव दस्तावेज वेबसाइटों पर डाल दिए जाएँ (जैसा कि इन विनियमों के तहत अपेक्षित है) और उनकी विषय-वस्तु वही हो जो, यथास्थिति, कंपनी रजिस्ट्रार, बोर्ड तथा स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए गए प्रस्ताव दस्तावेजों की थी।
- (17) जब कभी अनुरोध किया जाए, तब अग्रणी प्रबंधक और स्टॉक एक्सचेंज आम जनता को प्रस्ताव दस्तावेज की प्रतियाँ उपलब्ध कराएँगे और उसके लिए वे वाजिब शुल्क ले सकेंगे ।

अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूश्नल बायर) के साथ चर्चा

- **59घ.** (1) इस अध्याय के प्रावधानों में चाहे जो भी उल्लेख हो, लाए जाने वाले निर्गम (इश्यू) की सीमित जानकारी प्रदान करने (मार्केटिंग करने) के लिए निर्गमकर्ता (इश्युअर) अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वालिफाइड इंस्टिट्यूश्लल बायर) के साथ चर्चा कर सकेगा। निर्गमकर्ता ऐसी चर्चा पहले प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज को दाखिल किए जाने की तारीख से लेकर बोर्ड द्वारा इस प्रकार 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' के संबंध में कोई अभिमत जारी किए जाने की तारीख तक कर सकेगा।
- (2) उप-विनियम (1) के तहत जिस चर्चा का ज़िक्र किया गया है, वह 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' में दी गई जानकारी तक ही सीमित होगी।
- (3) यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) उपरोक्त उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के अनुसार अर्हित संस्थागत क्रेताओं के साथ चर्चा करता है, तो ऐसे में निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक उन अर्हित संस्थागत क्रेताओं की सूची तैयार करेंगे, जिन्होंने इस प्रकार हुई चर्चा (चर्चाओं) में भाग लिया हो।
- (4) निर्गमकर्ता और अग्रणी प्रबंधक बोर्ड को इस बात की पुष्टि करेंगे कि अर्हित संस्थागत क्रेताओं के साथ चर्चा (चर्चाएँ) कर ली गई है (हैं)।

सामान्य शर्तें

- 59 इ. (1) इन विनियमों के किसी भी अन्य प्रावधान में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार पहले प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करके आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) लाने का विकल्प चुनने वाले निर्गमकर्ता (इश्युअर) को, जब तक बोर्ड 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' के संबंध में कोई बदलाव न सुझाए या उसके संबंध में कोई अभिमत जारी न करे, निम्नलिखित की अनुमित होगी, हालाँकि बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी जानकारी देनी होगी:
 - (क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) के पास बकाया संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) हो सकती हैं या ऐसा कोई अन्य अधिकार हो सकता है, जिससे कि कोई व्यक्ति निर्गमकर्ता के इक्किटी शेयर प्राप्त करने के किसी विकल्प का हकदार बन जाए:

परंतु यह कि निर्गमकर्ता ऐसी बकाया संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) को अनिवार्य रूप से संपरिवर्तित (कन्वर्ट) करेगा या अनिवार्य रूप से ऐसे किसी अन्य अधिकार का प्रयोग करेगा जिससे कि कोई व्यक्ति निर्गमकर्ता के इक्किटी शेयर प्राप्त करने के किसी विकल्प का हकदार बन जाए, और बोर्ड को ऐसे संपरिवर्तन की जानकारी, 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' के संबंध में बोर्ड द्वारा कोई बदलाव सुझाए जाने या उसके संबंध में कोई अभिमत जारी किए जाने से पहले, देगा:

परंतु यह और कि बोर्ड द्वारा 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' के संबंध में अभिमत जारी किए जाने के बाद भी निम्नलिखित की अनुमित होगी:

- (i) इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप, संबंधित गाइडेंस नोट अथवा अथवा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान या कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार लेखा मानकों (अकाउंटिंग स्टैंडर्ड), यदि कोई हों, के अनुरूप लाई गई कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अनुसरण में कर्मचारियों (चाहे वे वर्तमान में कर्मचारी हों या न हों) को प्रदान किए गए बकाया विकल्प (ऑप्शन) हो सकते हैं;
- (ii) ऐसी पूर्णतः समादत्त बकाया संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (फुली पेड-अप आउटस्टैंडिंग कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) हो सकती हैं, जिन्हें, यथास्थिति, प्रारंभिक (रैड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस [बही-निर्माण (बुक-

बिल्डिंग) वाले निर्गमों (इश्यू) के मामले में] या प्रॉस्पेक्टस [नियत कीमत वाले निर्गमों (फिक्स्ड प्राइस इश्यु) के मामले में] दाखिल करने की तारीख तक बदला (संपरिवर्तित किया) जाना अपेक्षित हो;

- (ख) निर्धारित प्रतिभूतियों जारी (निर्गमित) की जा सकती हैं;
- (ग) ऐसी संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती हैं, जिन्हें प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करते समय इक्विटी शेयरों में बदलना (संपरिवर्तित करना) अनिवार्य होता है, बशर्ते कि 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस–I' में यह बताया जाए कि ऐसे संपरिवर्तित प्रतिभूतियों (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) को अधिकतम कितने शेयरों में बदला जाएगा।
- (2) यदि 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' के संबंध में बोर्ड द्वारा कोई बदलाव सुझाए जाने या अभिमत जारी किए जाने के बाद, उस 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' में ऐसे कोई बदलाव किए जाते हैं, जिनका उल्लेख अनुसूची-XVIक में किया गया हो, तो ऐसे में, यथास्थिति, 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' को अपडेट करके या 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' को फिर से बोर्ड के पास दाखिल किया जाएगा, जिसके साथ अनुसूची-III के अनुसार फीस भी अदा की जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, यदि 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' के संबंध में बोर्ड द्वारा कोई बदलाव सुझाए जाने या अभिमत जारी किए जाने से पहले ही, 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' में ऐसे बदलाव किए जाते हैं जिनका उल्लेख अनुसूची-XVIक के खंड (1) में किया गया हो, तो ऐसे में उसे फिर से दाखिल करना जरूरी नहीं होगा।

- (3) यदि 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस–I' में ऐसे कोई बदलाव किए जाते हैं, जिनका उल्लेख अनुसूची-XVI में किया गया हो, तो ऐसे में, यथास्थिति, अध्याय–II के तहत 'पहले दाखिल किए गए प्रस्ताव दस्तावेज' को अपडेट करके या 'प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' को फिर से या 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' को फिर से बोर्ड के पास दाखिल किया जाएगा, जिसके साथ अनुसूची-III के अनुसार फीस भी अदा की जाएगी।
- (4) सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) इन विनियमों के विनियम 59ग के तहत बोर्ड द्वारा अभिमत जारी किए जाने की तारीख से अठारह महीनों के भीतर खोला जा सकेगा, हालाँकि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करना जरूरी होगा:

परंतु यह कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) इन विनियमों के विनियम 59ग के अनुसार 'अपेडट किया हुआ प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस – I' बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंजों के पास, बोर्ड द्वारा अभिमत जारी किए जाने की तारीख से सोलह महीनों के भीतर, दाखिल करेगा।"

- III. विनियम 71 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों और चिह्नों "बोर्ड के उस संबंधित प्रादेशिक कार्यालय में दाखिल करेगा, जिसके क्षेत्राधिकार में निर्गमकर्ता कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित हो" के स्थान पर शब्द "बोर्ड के पास दाखिल करेगा" आ जाएंगे।
- IV. विनियम 123 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों और चिह्नों "बोर्ड के उस संबंधित प्रादेशिक कार्यालय में दाखिल करेगा, जिसके क्षेत्राधिकार में निर्गमकर्ता कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित हो" के स्थान पर शब्द "बोर्ड के पास दाखिल करेगा" आ जाएंगे।
- V. विनियम 162 के बाद, निम्नलिखित विनियम 162क जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

"अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी

162क. (1) यदि निर्गम (इश्यू) का आकार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक हो जाता हो, तो निर्गमकर्ता (इश्युअर) निर्गम से आए पैसे (इश्यू प्रोसीड्स) के उपयोग के लिए व्यवस्थाएँ करेगा, जिसकी मॉनीटरिंग बोर्ड से रजिस्टर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा की जाएगी:

परंतु यह कि इस खंड में दी हुई कोई भी बात बैंक या लोक वित्तीय संस्था या बीमा कंपनी द्वारा लाए जाने वाले निर्धारित प्रतिभृतियों (सिक्यूरिटीज़) के निर्गम (इश्यू) पर लागू नहीं होगी।

- (2) अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) को अपनी रिपोर्ट, अनुसूची-XI में दिए हुए फॉर्मेट में, तिमाही आधार पर तब तक प्रस्तुत करती रहेगी, जब तक निर्गम से आए पैसे (इश्यू प्रोसीड्स) का शत-प्रतिशत उपयोग न कर लिया जाए।
- (3) निर्गमकर्ता (इश्युअर) का निदेशक मंडल और प्रबंध-मंडल अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी के निष्कर्षों (जैसा अनुसूची-XI में निर्धारित है) के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ देगा ।

- (4) निर्गमकर्ता (इश्युअर), प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी की रिपोर्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा और साथ ही उसे उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) के पास भी प्रस्तुत करेगा, जहाँ उसके इक्विटी शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।"
 - VI. विनियम 164क में, उप-विनियम (6) में,
 - (क) खंड (क) में, शब्दों और चिह्नों "लोक वित्तीय संस्था (पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टिटयूशन) या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक [जो निर्गमकर्ता का संबद्ध पक्षकार (रिलेटेज पार्टी) न हो]" के स्थान पर शब्द और चिह्न "बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी" आ जाएंगे;
 - (ख) खंड (क) में, उप-खंड (i) में, शब्दों "कम से कम पचानवे प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "सौ प्रतिशत" आ जाएंगे ।
 - VII. विनियम 173 के बाद, निम्नलिखित विनियम 173क जोड़ा जाएगा, अर्थात, -

"अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी

173क. (1) यदि निर्गम (इश्यू) का आकार [विक्रय करने वाले शेयरधारकों द्वारा लाए जाने वाले 'विक्रय के प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल)' को छोड़कर] एक सौ करोड़ रुपये से अधिक हो जाता हो, तो निर्गमकर्ता (इश्युअर) निर्गम से आए पैसे (इश्यू प्रोसीड्स) के उपयोग के लिए व्यवस्थाएँ करेगा, जिसकी मॉनीटरिंग बोर्ड से रजिस्टर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा की जाएगी:

परंतु यह कि इस खंड में दी हुई कोई भी बात बैंक या लोक वित्तीय संस्था या बीमा कंपनी द्वारा लाए जाने वाले निर्धारित प्रतिभृतियों (सिक्यूरिटीज़) के निर्गम (इश्यू) पर लागू नहीं होगी ।

- (2) अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) को अपनी रिपोर्ट, अनुसूची-XI में दिए हुए फॉर्मेट में, तिमाही आधार पर तब तक प्रस्तुत करती रहेगी, जब तक निर्गम से आए पैसे (इश्यू प्रोसीड्स) का शत-प्रतिशत उपयोग न कर लिया जाए।
- (3) निर्गमकर्ता (इश्युअर) का निदेशक मंडल और प्रबंध-मंडल अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी के निष्कर्षों (जैसा अनुसूची-XI में निर्धारित है) के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ देगा ।
- (4) निर्गमकर्ता (इश्युअर), प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी की रिपोर्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा और साथ ही उसे उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) के पास भी प्रस्तुत करेगा, जहाँ उसके इक्विटी शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।"
 - VIII. अनुसूची-III में, शीर्षक में, अंकों और चिह्नों "25(6)," के बाद अक्षर, अंक और चिह्न "59ग(1), 59ङ(2), 59ङ(3)," जोड़े जाएंगे।

IX. अनुसूची-IV में,

- (i) शीर्षक में, अंकों और चिह्नों "25(1)," के बाद, अक्षर, अंक और चिह्न "59ग(1)," जोड़े जाएंगे ।
- (ii) शब्दों और चिह्न "बोर्ड के उस संबंधित कार्यालय में दाखिल किए जाएंगे जिसके क्षेत्राधिकार में निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी का रजिस्ट्रीकृत (पंजीकृत) कार्यालय स्थित हो, और जो निर्गम के अनुमानित आकार के आधार पर दाखिल किए जाएंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।" के स्थान पर शब्द, अंक और चिह्न "बोर्ड के प्रधान कार्यालय में दाखिल किए जाएंगे, जिसका पता इस प्रकार है: सेबी प्रधान कार्यालय, सेबी भवन, प्लॉट सं. सी4-ए, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051" आ जाएंगे।

X. अनुसूची-V में,

- (i) शीर्षक में, अंकों, अक्षर और चिह्नों "25(2)(ख)," के बाद, अक्षर, अंक और चिह्न "59ग(4), 59ग(13)," जोड़े जाएंगे।
- (ii) प्ररूप-क के बाद, निम्नलिखित प्ररूप (प्ररूप-कक) जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

"प्ररूप–कक - अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) द्वारा 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) के साथ दिए जाने वाले पूरी तत्परता बरते जाने (ड्यू डिलीजेंस किए जाने) संबंधी प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

प्रति,
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
प्रिय महोदय,

विषय.:	[निर्गमकर्ता (इश्युअर) का नाम] द्वारा	का सार्वजनिक
निर्गम (पब्लिक इश्यू)		

हम यह पृष्टि करते हैं कि:

- (1) हमने उपरोक्त निर्गम (इश्यू) के 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज'_को अंतिम रूप देते समय विभिन्न दस्तावेजों [जिनमें शामिल हैं मुकदमे से जुड़े दस्तावेज, कारोबार संबंधी विवादों से जुड़े दस्तावेज, पेटेंट संबंधी विवादों से जुड़े दस्तावेज, सहयोगियों (कोलेबोरेटर) से विवादों से जुड़े दस्तावेज, आदि] तथा अन्य सामग्री की जाँच कर ली है:
- (2) इस तरह की गई जाँच और निर्गमकर्ता, उसके निदेशकों और अन्य अधिकारियों, अन्य एजेंसियों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर और निर्गम के उद्देश्यों से संबंधित विवरणों, कीमत के संबंध में दिए गए औचित्य, दस्तावेजों की विषय-वस्तु और निर्गमकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य कागजातों की विषय-वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने के बाद, हम यह पृष्टि करते हैं कि:
 - (क) 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' को निर्गम से संबंधित अहम दस्तावेजों, सामग्री और कागजातों के अनुरूप तैयार किया गया है;
 - (ख) इस संबंध में बोर्ड, केन्द्रीय सरकार और किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गम के संबंध में निर्धारित की गई सभी अहम कानूनी अपेक्षाओं का पूरी तरह से पालन कर लिया गया है; और
 - (ग) 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' में प्रकट (डिस्क्लोज़) किए गए अहम तथ्य सही और पर्याप्त हैं, ताकि निवेशक प्रस्तावित निर्गम में निवेश के बारे में अच्छी तरह से सोच-समझकर निर्णय ले सकें और ऐसे तथ्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं, इन विनियमों की अपेक्षाओं और अन्य लागू कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार प्रकट (डिस्क्लोज़) किए गए हैं।
- (3) हमारे अलावा, 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' में जिन मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नाम हैं. वे सभी बोर्ड से रजिस्टर हैं और अब तक उनका रजिस्टीकरण मान्य है।
- (4) हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हामीदार (अंडरराइटर) अपनी हामीदारी संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम हैं।
- (5) संप्रवर्तकों से इस संबंध में लिखित सहमित प्राप्त कर ली गई है कि उनकी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को लॉक-इन संबंधी अपेक्षाओं के अध्यधीन संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के अंशदान में शामिल किया जा सकता है और जिन निर्धारित प्रतिभूतियों (जिन पर लॉक-इन लगा हुआ हो) को संप्रवर्तकों के अंशदान में शामिल किया जाना है, उन्हें बोर्ड के पास पहले प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने की तारीख से आरंभ होने वाली और प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित लॉक-इन की अविध शुरू होने की तारीख को समाप्त होने वाली अविध के दौरान संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) द्वारा बेचा आदि नहीं जाएगा या अंतरित (ट्रांसफर) नहीं किया जाएगा।
- (6) इन विनियमों के उन सभी लागू प्रावधानों, जो उन निर्धारित प्रतिभूतियों से संबंधित हैं जो संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) के अंशदान में शामिल होने के लिए पात्र नहीं हैं, का पूरी तरह से पालन कर लिया गया है और/या किया जाएगा और उपरोक्त विनियम (विनियमों) के पालन के संबंध में 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' में उपयुक्त प्रकटीकरण कर दिए गए हैं।
- (7) इन विनियमों के उन सभी प्रावधानों का पालन किया जाएगा, जो निर्गम के खुलने से पहले संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) का अंशदान प्राप्त करने से संबंधित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं कि निर्गम के खुलने से कम से कम एक दिन पहले संप्रवर्तकों का अंशदान प्राप्त कर लिया जाएगा और इस संबंध में लेखापरीक्षकों (ऑडिटर्स) द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र बोर्ड के पास विधिवत् रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। हम यह भी पृष्टि करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं कि संप्रवतकों का अंशदान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में निलंब खाते (एस्क्रो अकाउंट) में रखा जाएगा और जो निर्गम से मिले पैसों के साथ निर्गमकर्ता को दिया जाएगा।

- (8) यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी इंतजाम कर लिए जाएंगे कि निर्गम के बाद प्राप्त होने वाले पैसों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 40 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार एक अलग बैंक खाते में जमा या अंतरित (ट्रांसफर) कर दिया जाए और यह कि इस तरह से जमा या अंतरित किए गए पैसे सभी स्टॉक एक्सचेंजों से अनुमित लेने के बाद ही उपरोक्त बैंक द्वारा दिए जाएंगे, और यह भी कि निर्गमन बैंककारों (बैंकर टू द इश्यू) तथा निर्गमकर्ता के बीच हुए करार में खास तौर पर इस शर्त का ज़िक्र किया जाएगा।
- (9) निर्गमकर्ता (इश्युअर) का मौजूदा कारोबार और साथ ही कोई नया कारोबार, जिसके लिए पैसे (फंड) जुटाए जा रहे हैं, निर्गमकर्ता के संगम ज्ञापन (मैमोरेन्डम ऑफ असोसिएशन) या किसी अन्य चार्टर के उद्देश्य खंड में 'मुख्य उद्देश्यों' के अंतर्गत आते हैं और यह कि पिछले दस वर्षों के दौरान किए गए क्रियाकलाप संगम ज्ञापन के उद्देश्य खंड की शर्तों आदि के अनुसार मान्य हैं।
- (10) 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' में निम्नलिखित प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) कर दिए गए हैं:
 - (क) निर्गमकर्ता की ओर से वचन कि किसी भी समय निर्गमकर्ता (इश्युअर) के इक्विटी शेयरों का केवल एक ही मूल्य-वर्ग (डिनॉमिनेशन) होगा, उन एसआर इक्विटी शेयरों को छोड़कर जो उसने पहले ही जारी किए हुए हों, और
 - (ख) निर्गमकर्ता की ओर से यह वचन कि वह बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए सभी प्रकटीकरणों और लेखा संबंधी सभी मानदंडों का पालन करेगा।
- (11) हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के अनुसार विज्ञापनों से संबंधित विनियमों का पालन करेंगे।

हम एक टिप्पणी संलग्न कर रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि हमारे द्वारा पूरी तत्परता कैसे बरती गई है (ड्यू डिलिजेंस कैसे किया गया है) [जिसमें शामिल है - निर्गमकर्ता के कारोबार, कारोबार से जुड़े जोखिमों और संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) के अनुभव के संबंध में पूरी तत्परता बरतना] और यह कि प्रस्ताव दस्तावेजों में बताई गई अविध के दौरान किए गए संबद्ध पक्षकार संव्यवहार (रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन) निर्गमकर्ता द्वारा लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं।

हम एक जाँच-सूची संलग्न कर रहे हैं जिसमें यह पृष्टि की गई है कि इन विनियमों के लागू प्रावधानों का पालन कर लिया गया है और जिसमें विनियम की संख्या, संबंधित विनियम, उसके पालन की स्थिति तथा 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' (ड्राफ्ट ऑफर डाक्यूमेंट) की उस पृष्ठ संख्या का उल्लेख है जिसमें संबंधित विनियम का पालन कर लिए जाने का जिक्र है और साथ ही हमारी टिप्पणियों, यदि कोई हों, का भी उल्लेख है।

हम विनियम 8 और विनियम 15 का पालन करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही की योजना भी संलग्न कर रहे हैं।

स्थान:

निर्गम (इश्यू) का (के) अग्रणी प्रबंधक

तारीख:

आधिकारिक मुहर (मुहरों) सहित"

- (iii) प्ररूप-ग में, -
 - (क) शीर्षक से पहले, अंकों, अक्षर और चिह्नों "25(9)(ख)," के बाद, अंक, अक्षर और चिह्न "59ग(13)," जोड़े जाएंगे।
 - (ख) खंड 4 में, शब्दों "बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने की तारीख से आज की तारीख तक" के स्थान पर शब्द और चिह्न "बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज या 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' दाखिल करने की तारीख से आज की तारीख तक" आ जाएंगे।
- XI. अनुसूची-V में, प्ररूप-ग के बाद और प्ररूप-घ से पहले, निम्नलिखित प्ररूप-गक जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"प्ररूप–गक - अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) द्वारा 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस – l' के साथ दिए जाने वाले पूरी तत्परता बरते जाने (ड्यू डिलीजेंस किए जाने) संबंधी प्रमाणपत्र का फॉर्मेट

[विनियम 59ग(8) देखें और विनियम 59ग(13)]

10		THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY	[PART III—SEC.4]
	भार	तीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	
	प्रिय	महोदय,	
निर्गम	विष (पब्लि	ाय.:ानर्गमकर्ता (इश्युअर) का नाम] द्वारा क इश्यू) / साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू)	का सार्वजनिक
	हमः	यह पुष्टि करते हैं कि:	
	(1)	बोर्ड के पास, यथास्थिति, दाखिल किए गए 'अपडेट किए हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉ हुए प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस – II' में उपरोक्त तारीख तक की स्थिति के अन् सभी अहम तथ्य प्रकट कर दिए गए हैं।	
	(2)	प्रस्ताव दस्तावेज में जिन मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नाम दिए गए हैं, आज की तारीख में मान्य है और यह कि इन मध्यवर्तियों में से किसी पर भी वि (रेग्यूलेटरी अथॉरिटी) द्वारा रोक नहीं लगाई गई है।	
	(3)	संप्रवर्तकों से इस संबंध में लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई है कि उनकी प्रति लॉक-इन संबंधी अपेक्षाओं के अध्यधीन संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के अंशदान में शामि	
	(4)	जिन प्रतिभूतियों (जिन पर लॉक-इन लगा हुआ हो) को संप्रवर्तकों के अंशदान उन्हें बोर्ड के पास पहले प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने की तारीख आज की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) द्व या अंतरित (ट्रांसफर) नहीं किया गया है।	। से आरंभ होने वाली और
		निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों को गैर-कागजी (डीमैट) रूप देने के लिए निक्षेपाग करार कर लिए गए हैं।	ाारों (डिपॉजिटरी) के साथ
	स्था	न: निर्गम (इः	श्यू) का (के) अग्रणी प्रबंधक
	तारी	ोख: आधिक	गरिक मुहर (मुहरों) सहित"
	XII.	अनुसूची-V में, प्ररूप-घ के बाद और प्ररूप-ङ से पहले, निम्नलिखित प्ररूप-घक ज	ोड़ा जाएगा, अर्थात् –
(प्रबंध		प्प-घक - प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल किए जाने के बाद हुई महत्त्वपूर्ण घटनाओं के रा दिए जाने वाले पूरी तत्परता बरते जाने (ड्यू डिलीजेंस किए जाने) संबंधी प्रमाण	
		[विनियम 59ग(13) देखें]	
	प्रति	,	
	भार	तीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	
	प्रिय	महोदय,	
निर्गम		य.:[निर्गमकर्ता (इश्युअर) का नाम] द्वारा क इश्यू) / साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू)	का सार्वजनिक
तथ्य व (डिस ्य	कंपनी र	यह पुष्टि करते हैं कि निर्गमकर्ता (इश्युअर) के बारे में आज की तारीख तक की स्थि रजिस्ट्रार के पास(तारीख) को 'पहले दाखिल किए गए प्रस्ताव दस् कर दिए गए हैं और उसके बाद हुए बदलाव आदि भी प्रकट (डिस्क्लोज़) _ को जारी की गई सार्वजनिक सूचना के माध्यम से (विज्ञापन की प्रति संलग्न है)]।	तावेज' के माध्यम से प्रकट
	स्था	न: निर्गम (इ	श्यू) का (के) अग्रणी प्रबंधक
	तारी	ोख: आधिक	गरिक मुहर (मुहरों) सहित"

- XIII. अनुसूची-VI के भाग-क में, पैरा (9) में शीर्षक "(ट) निर्गम कीमत का आधार" के अंतर्गत, खंड (2) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -
 - "(3) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्यूमेंट) में जिन 'प्रदर्शन के प्रमुख सूचकों' (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स / के.पी.आई.) की जानकारी दी गई है, उनके संबंध में, निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी और अग्रणी मर्चेंट बैंकर यह सुनिश्चित करेंगे कि:

दी जाएं. ताकि विषय-वस्त को आसानी से समझा जा सके। यदि के.पी.आई को स्पष्ट करते समय किन्हीं तकनीकी शब्दों आदि का इस्तेमाल किया जाए, तो उन्हें भी आसान शब्दों में स्पष्ट किया जाए।

11

- (ख) जिन के.पी.आई की जानकारी प्रस्ताव दस्तावेज में दी जाएगी. उनकी मंजुरी निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमिटी) द्वारा दी गई हो।
- प्रस्ताव दस्तावेज में जिन के.पी.आई. की जानकारी दी जाए, उन्हें कानूनी लेखापरीक्षक (कानूनी लेखापरीक्षकों) या चार्टड अकाउंटेंटों या चार्टड अकाउंटेंटों के फर्म, जिनके पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के पीयर रिव्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया मान्य प्रमाणपत्र हो, द्वारा प्रमाणित किया जाए अथवा कॉस्ट अकाउंटेटों, जिनके पास इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया के पीयर रिव्यू बोर्ड जारी किया गया मान्य प्रमाणपत्र हो, द्वारा प्रमाणित किया जाए ।
- के.पी.आई. के संबंध में जारी किए गए प्रमाणपत्र को जाँच के लिए अहम दस्तावेजों की सुची में शामिल किया जाए।
- प्रस्ताव दस्तावेज में जिस के.पी.आई. की जानकारी दी जाए, उसके ब्यौरे उसी अवधि के लिए दिए जाएं, जिस अवधि की रीस्टेटेड वित्तीय जानकारी प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डाक्युमेंट) में दी गई हो ।
- प्रस्ताव दस्तावेज में जिन के.पी.आई. की जानकारी दी जाए, वह व्यापक हो और यह भी स्पष्ट किया जाए कि प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) द्वारा पहले इन के.पी.आई. का इस्तेमाल निर्गमकर्ता (इश्यअर) कंपनी के कामकाज संबंधी और/या वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए और उन पर नज़र आदि रखने के लिए कैसे-कैसे किया गया है।
- कारोबार के संबंध में यदि कोई खरीद या बिक्री आदि की जाती है, तो उनके आधार पर समय-समय पर के.पी.आई. की तुलना करते हुए स्पष्टीकरण दिए जाएं। उदाहरण के लिए, यदि निर्गमकर्ता कंपनी ने के.पी.आई. से संबंधित अवधि के दौरान आस्तियों (असेटस) / कारोबार की कोई बड़ी खरीद या बिक्री आदि की हो, तो के.पी.आई. से यह बात स्पष्ट होनी चाहिए।
- 'निर्गम कीमत का आधार' शीर्षक वाले खंड के संबंध में. निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:
 - निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी से संबंधित उन सभी के.पी.आई. की जानकारी, जो डीआरएचपी / आरएचपी दाखिल करने की तारीख से पहले तीन वर्षों के दौरान कभी भी निवेशकों को दी गई हो ।
 - निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमिटी) द्वारा यह पुष्टि कि प्रस्ताव दस्तावेज के 'निर्गम कीमत का आधार' शीर्षक वाले खंड में निर्गमकर्ता कंपनी से संबंधित उन सभी के.पी.आई. के सत्यापित और लेखापरीक्षित ब्यौरों दिए गए हैं, जो डीआरएचपी / आरएचपी दाखिल करने की तारीख से पहले तीन वर्षों के दौरान कभी भी निवेशकों को दिए गए हों।
 - (iii) निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी अग्रणी मर्चेंट बैंकर के परामर्श से. अपने कारोबार के किसी ऐसे संबंधित और अहम के.पी.आई. की जानकारी दे सकेगी. जो वह ठीक समझे और जो निर्गम कीमत का आधार तय करने पर असर डालती हो।
 - (iv) प्रस्ताव दस्तावेज के 'निर्गम कीमत का आधार' शीर्षक वाले खंड में उन के.पी.आई. की जानकारी दी जाएगी. जिनकी जानकारी प्रस्ताव दस्तावेजों के अन्य खंडों में दी गई हो।
 - 'निर्गम कीमत का आधार' शीर्षक वाले खंड में जिन के.पी.आई. की जानकारी दी गई हो, उनकी तुलना, यथास्थिति, भारत में सुचीबद्ध समकक्ष कंपनियों और / या दूसरे देशों में सुचीबद्ध समकक्ष कंपनियों के साथ की जाएगी (जहाँ भी ऐसी कंपनियों की जानकारी उपलब्ध हो)। जिन समकक्ष कंपनियों से तुलना की जाएगी, उनमें शामिल होंगी – निर्गमकर्ता कंपनी के जैसी ही आकार की कंपनी, उसी उद्योग की कंपनी और कारोबार के वैसे ही मॉडल वाली कंपनी (यदि हर पहलू के संबंध में तुलना करना संभव न हो, तो ऐसे में टिप्पणियों के जरिए यह स्पष्ट किया जा सकता है कि फर्क कहाँ-कहाँ हैं)।

- (झ) निर्गमकर्ता कंपनी उन सभी के.पी.आई. की जानकारी देती रहेगी, जिनकी जानकारी प्रस्ताव दस्तावेज के 'निर्गम मूल्य का आधार' शीर्षक वाले खंड में दी गई हो। यह जानकारी समय-समय पर किंतु वर्ष में कम से कम एक बार (या निर्गमकर्ता कंपनी द्वारा निर्धारित की गई इससे भी कम अवधि में) दी जाएगी और साथ ही जानकारी उस अवधि के संबंध में दी जाएगी, जो इनमें से बाद में आए (i) सूचीबद्धता (लिस्टिंग) की तारीख से एक वर्ष बाद तक या बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई अवधि तक; या (ii) जब तक निर्गम से आए पैसों का इस्तेमाल, प्रॉस्पेक्टस के 'निर्गम के उद्देश्य' शीर्षक वाले खंड में दी गई जानकारी के अनुसार न कर लिया जाए। उपरोक्त अवधि के दौरान, यदि इन के.पी.आई. में कोई बदलाव होता है, तो निर्गमकर्ता कंपनी द्वारा उसके संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। मौजूदा के.पी.आई. को खंड 3(ग) के अनुसार, विशेषज्ञ निकाय (बॉडी) के सदस्य द्वारा प्रमाणित किया जाता रहेगा।
- (5) यथास्थिति, प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट की गई निर्गम कीमत, निम्नतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) या मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) के संबंध में निर्गमकर्ता कंपनी और अग्रणी मर्चेंट बैंकर निम्नलिखित के संबंध में जानकारी देंगे:
 - (क) डीआरएचपी / आरएचपी दाखिल करने की तारीख से 18 महीने पहले की अवधि के दौरान, पहली बार जारी किए गए शेयरों (जिनमें ईएसओपी / ईएसओएस के तहत जारी किए गए शेयर और जारी किए गए बोनस शेयर शामिल नहीं हैं) के आधार पर निर्गमकर्ता कंपनी की प्रति शेयर कीमत । यह जानकारी तब दी जाएगी, जब लगातार 30 दिनों की अवधि के दौरान एक ही बार जारी किए गए या कई बार जारी किए गए शेयरों का मूल्य मिलाकर निर्गमकर्ता कंपनी की पूर्णत: डाइल्यूटिड समादत्त (पेड-अप) शेयर पूँजी का 5 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए (जिसकी गणना इस तरह से शेयर जारी करने से पहले की निर्गम से पूर्व की पूँजी के आधार पर की जाएगी और जिसमें वे कर्मचारी स्टॉक विकल्प शामिल नहीं होंगे जो प्रदान तो किए गए किंतु जो निहित नहीं हुए); और
 - (ख) डीआरएचपी / आरएचपी दाखिल करने की तारीख से 18 महीने पहले की अवधि के दौरान, शेयरों (इक्विटी / संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ) की बाद में की गई खरीद / बिक्री [जहाँ आईपीओ में विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) के जिरए शेयर बेचने वाली संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) की एंटिटियाँ या शेयरधारक अथवा ऐसे शेयरधारक शेयरों को खरीद / बेच रहे हों, जिनके पास निर्गमकर्ता कंपनी के बोर्ड में निदेशक (निदेशकों) को नामित करने का अधिकार हो (जिसमें उपहार शामिल नहीं है)] के आधार पर निर्गमकर्ता कंपनी की प्रति शेयर कीमत । यह जानकारी तब दी जाएगी, जब लगातार 30 दिनों की अवधि के दौरान एक ही बार की गई खरीद या बिक्री अथवा कई बार की गई खरीद या बिक्री का मूल्य मिलाकर निर्गमकर्ता कंपनी की पूर्णत: डाइल्यूटिड समादत्त (पेड-अप) शेयर पूँजी का 5 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए (जिसकी गणना इस तरह से शेयर खरीदने / बेचने से पहले की निर्गम से पूर्व की पूँजी के आधार पर की जाएगी और जिसमें वे कर्मचारी स्टॉक विकल्प शामिल नहीं होंगे जो प्रदान तो किए गए किंतु जो निहित नहीं हए)।

टिप्पणी: 1. यदि (क) और (ख) के अनुसार, इस तरह से शेयर जारी न किए गए हों या उनकी खरीद / बिक्री न की गई हो, तो ऐसे में निर्गमकर्ता कंपनी की प्रति शेयर कीमत की जानकारी दी जाएगी और जो पहली बार शेयर जारी किए जाने के मामले में कीमत या बाद में की गई खरीद / बिक्री की कीमत के आधार पर (इस तरह से शेयर जारी किए जाने या खरीद / बिक्री के पिछले 5 मामलों में कीमत को हिसाब में लेकर) निकाली जाएगी [बाद में की गई ऐसी खरीद / बिक्री, जहाँ आईपीओ में विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) के जरिए शेयर बेचने वाली संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) की एंटिटियाँ या शेयरधारक अथवा ऐसे शेयरधारक, जिनके पास निर्गमकर्ता कंपनी के बोर्ड में निदेशक (निदेशकों) को नामित करने का अधिकार हो, इस प्रकार शेयरों को बेच / खरीद रहे हों]। यह जानकारी डीआरएचपी / आरएचपी दाखिल करने की तारीख से 3 वर्षों से पहले की नहीं होगी, फिर भले ही इस तरह से शेयर जारी किए जाने या खरीद / बिक्री का मूल्य जो भी रहा हो।

- 2. जिस प्रति शेयर कीमत की जानकारी दी जाएगी, वह कीमत निर्गमकर्ता कंपनी द्वारा कंपनी कार्रवाइयों [जैसे विभाजन (स्पिलट), बोनस आदि] को हिसाब में लेने के बाद निकाली जाएगी।
 - (ग) ऊपर खंड (क) और (ख) या टिप्पणी 1 के अनुसार, पहली बार शेयर जारी किए जाने के मामले में कीमत / बाद में की गई खरीद / बिक्री की कीमत के आधार पर अर्जित किए जाने की भारित औसत लागत (डब्ल्यू.ए.सी.ए.) निकाली जाएगी और जिसकी [●] गुणा निम्नतम कीमत (फ्लोर प्राइस) और उच्चतम कीमत (कैप प्राइस) होगी और जिसकी जानकारी इस तरह से दी जाएगी:

पहले की गई खरीद / बिक्री	डब्ल्यू.ए.सी.ए. (रुपये में)	आरंभिक सार्वजनिक निर्गम की निम्नतम कीमत (रुपये में) [●]	आरंभिक सार्वजनिक निर्गम की उच्चतम कीमत (रुपये में) [•]
डब्ल्यू.ए.सी.ए पहली बार शेयर जारी किए जाने के मामले में		[●] गुणा	[●] गुणा
डब्ल्यू.ए.सी.ए. – बाद में की गई खरीद/बिक्री के मामले में		[●] गुणा	[●] गुणा

- (घ) इस संबंध में एक विस्तृत स्पष्टीकण देना होगा कि पहली बार शेयर जारी किए जाने के मामले में कीमत / बाद में की गई खरीद/बिक्री की कीमत के आधार पर निकाली गई डब्ल्यू.ए.सी.ए. की [●] गुणा प्रस्ताव कीमत (ऑफर प्राइस) / उच्चतम कीमत (कैप प्राइस) क्यों है और इसके साथ ही निर्गमकर्ता कंपनी के पिछले तीन पूरे वित्तीय वर्षों और स्टब अविध (यदि कोई हो) के उन के.पी.आई. और वित्तीय अनुपातों की तुलना की जाएगी, जिनकी जानकारी प्रस्ताव दस्तावेज में दी गई हो।
- (ङ) इस बात के मद्देनज़र कि बाहरी कारकों (यदि कोई हों) का निर्गम कीमत पर क्या असर पड़ा होगा, इस संबंध में एक स्पष्टीकरण देना होगा कि पहली बार शेयर जारी किए जाने के मामले में कीमत / बाद में की गई खरीद/बिक्री की कीमत के आधार पर निकाली गई डब्ल्यू.ए.सी.ए. की [●] गुणा प्रस्ताव कीमत (ऑफर प्राइस) / उच्चतम कीमत (कैप प्राइस) क्यों है।
- (च) उपरोक्त पैरा (ग) में दी हुई सारणी, मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) से संबंधित विज्ञापन में, 'निवेशकों को जोखिम' शीर्षक वाले खंड में भी दी जानी चाहिए। 'मूल्य दायरे' से संबंधित विज्ञापन में स्वतंत्र निदेशकों की समिति की सिफारिश भी शामिल की जाएगी, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि 'निर्गम कीमत का आधार' शीर्षक वाले खंड में जिन कारकों आदि / के.पी.आई. की जानकारी दी गई है, उसके आधार पर और साथ ही 'निर्गम कीमत का आधार' शीर्षक वाले खंड में पहली बार शेयर जारी किए जाने के मामले में कीमत / बाद में की गई खरीद/बिक्री करने के आधार पर निकाली गई डब्ल्यू.ए.सी.ए. के आधार पर तय किया गया मूल्य दायरा (प्राइस बैंड) सही है।"
- XIV. अनुसूची-IX में, शीर्षक में, शब्द और अंक "विनियम 42," के बाद, अंक, अक्षर और चिह्न "59ग(8), 59ग(9), 59ग(13)," जोड़े जाएंगे।
- XV. अनुसूची-XVI में, शीर्षक में, शब्द, अंकों और चिह्नों "विनियम 25(6)," के बाद, अंक, अक्षर और चिह्न "59ङ(3)" जोड़े जाएंगे।
- XVI. अनुसूची-XVI के बाद, निम्नलिखित अनुसूची (अनुसूची-XVI-क) जोड़ी जाएगी, अर्थात्-

"अनुसूची-XVIक - प्रस्ताव दस्तावेज के संबंध में किए जाने वाले वे बदलाव, जिनके होने पर 'अपडेट किया हुआ प्रस्ताव दस्तावेज' दाखिल करना जरूरी होता है

[विनियम 59ङ(2) देखें]

- (1) वे बदलाव जिनके होने पर बोर्ड के पास 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' (ड्राफ्ट ऑफर डाक्यूमेंट) या 'प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' (ड्राफ्ट ऑफर डाक्यूमेंट) को नए सिरे से, फीस के साथ दाखिल करना जरूरी हो जाता है:
 - (क) यदि नीचे दी हुई किसी भी जानकारी आदि के संबंध में बोर्ड से टिप्पणियाँ आदि मिलने के बाद 'पहले दाखिल किए गए प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' (ड्राफ्ट ऑफर डाक्यूमेंट) में बदलाव किए जाते हैं, तो ऐसे में निर्गमकर्ता को इन विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के पास अनुसूची-III में दी हुई फीस के साथ नया 'पहले दाखिल किया जाने वाला प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' (ड्राफ्ट ऑफर डाक्यूमेंट) या 'प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' (ड्राफ्ट ऑफर डाक्यूमेंट) दाखिल करना होगा:
 - (i) निर्गमकर्ता के संप्रवर्तक (प्रोमोटर) में बदलाव होने के मामले में ।
 - (ii) निर्गमकर्ता के निदेशक-मंडल में से आधे से ज्यादा निदेशकों में बदलाव होने के मामले में ।
 - (iii) निर्गमकर्ता के मुख्य उद्देश्यों संबंधी खंड में बदलाव होने के मामले में।

- (iv) निर्गम के उद्देश्यों में ऐसा कोई नया उद्देश्य जुड़ने के मामले में, जिसकी वजह से निर्गम का अनुमानित आकार (साइज़) या पैसा जुटाने के अनुमानित माध्यमों में पचास प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा हो जाए।
- (v) यदि यह विश्वास करने के कारण हों कि कोई उद्देश्य हटाने की वजह से जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और जिसकी वजह से निर्गम का आकार पचास प्रतिशत से ज्यादा घट जाएगा।
- (vi) नए निर्गम के मामले में, निर्गम के अनुमानित आकार (साइज़) में पचास प्रतिशत से ज्यादा का कोई इजाफा या कमी होने के मामले में।
- (vii) विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) के मामले में, विक्रय के लिए प्रस्तावित शेयरों की संख्या या निर्गम के अनुमानित आकार में पचास प्रतिशत से ज्यादा का कोई इजाफा या कमी होने के मामले में।
- (viii) उस निर्गम के मामले में, जिसमें नया निर्गम और विक्रय के लिए प्रस्ताव साथ-साथ लाया जा रहा हो, खंड (vi) एवं खंड (vii) में दी हुई संबंधित सीमाओं में कोई इजाफा या कमी होने के मामले में।
- (ix) निर्गम के उद्देश्यों में से किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम में बीस प्रतिशत से ज्यादा का कोई इजाफा होने के मामले में।
- (ख) ऐसे बदलाव जिनसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के प्रावधानों का पालन न हो पाए और अग्रणी प्रबंधक (लीड मैनेजर) या निर्गमकर्ता उपरोक्त विनियमों के विनियम 303 के तहत छूट प्रदान करने का निवेदन न करना चाहते हों।
- (2) वे बदलाव जिनके होने पर बोर्ड के पास 'पहले दाखिल किए गए प्रस्ताव दस्तावेज' (ऑफर डाक्यूमेंट) का अपडेट किया हुआ रूप फीस के साथ दाखिल करना जरूरी हो जाता है:
 - (क) यदि नीचे दी हुई किसी भी जानकारी आदि के संबंध में 'पहले दाखिल किए गए प्रस्ताव दस्तावेज' (ऑफर डाक्यूमेंट) में बदलाव किए जाते हैं, तो ऐसे में निर्गमकर्ता को बोर्ड के पास अनुसूची-III में दी हुई फीस के साथ 'अपडेट किया हुआ प्रस्ताव दस्तावेज' दाखिल करना होगा:
 - (i) **खंड 1: जोखिम कारक:** ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण घटना जिसकी वजह से आगे चलकर जोखिम हो सकता है और जिसके कारण इस खंड में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है।
 - (ii) खंड 2: पूँजी संरचना (कैपिटल स्ट्रक्चर): संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह की शेयरधारिता में 5 प्रतिशत या ज्यादा का कुल इजाफा अथवा शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता में 5 प्रतिशत या ज्यादा का कुल इजाफा।
 - (iii) खंड 3: निर्गम का आकार: निर्गम के उद्देश्यों में कोई इजाफा या कमी हो जिसके परिणामस्वरूप निर्गम के अनुमानित आकार या पैसा जुटाने के अनुमानित साधनों में 10 प्रतिशत से ज्यादा किंतु 20 प्रतिशत से कम का बदलाव हो।
 - (iv) खंड 4: प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट): किसी नए निदेशक की नियुक्ति।
 - (v) खंड 5: संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप): संप्रवर्तक समूह में कोई नया संप्रवर्तक समूह जुड़ने के मामले में या समूह कंपनियों में कोई नई समूह कंपनी जुड़ने के मामले में।
 - (vi) **खंड 6: वित्तीय विवरण:** प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज में अंतिम बार जो अपडेट किए गए वित्तीय विवरण दिए गए थे, उनकी तुलना में कर के बाद शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि और / या असाधारण मदों में 10 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा होने के मामले में।
 - (vii) खंड 7: कानूनी (विधिक) और अन्य जानकारी: कोई नया मुकदमा या किसी विचाराधीन मुकदमे से संबंधित कोई घटना होने के मामले में, जो अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) द्वारा महत्त्वपूर्ण माना जाए।
 - (ख) बोर्ड के पास 'अपडेट किया हुआ प्रस्ताव दस्तावेज' (ऑफर डाक्यूमेंट) दाखिल करने के बाद, निर्गमकर्ता बोर्ड से इस संबंध में पुष्टि प्राप्त करने के बाद निर्गम के संबंध में आगे कार्यवाही कर सकेगा।
- (3) वे बदलाव जिनके होने पर बोर्ड के पास 'अपडेट किया हुआ प्रस्ताव दस्तावेज' दाखिल करना जरूरी हो जाता है और कोई फीस नहीं देनी पड़ती:

'पहले दाखिल किए गए प्रस्ताव दस्तावेज' में किए जाने वाले अन्य सभी वे बदलाव जिनका जिक्र ऊपर पैरा (1) और (2) में नहीं किया गया है, प्रस्ताव दस्तावेज में किए जाएंगे और अपडेट किए गए प्रस्ताव दस्तावेज को बोर्ड के पास बिना किसी फीस के दाखिल किया जाएगा।"

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./422/2022-23]

पाद टिप्पण:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात् -
 - (क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा
 - (ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा
 - (ग) 5 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2019/08, द्वारा
 - (घ) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/29, द्वारा
 - (ङ) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2019/35, द्वारा
 - (च) 6 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2019/42, द्वारा
 - (छ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2019/47, द्वारा
 - (ज) 1 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2020/01, द्वारा
 - (झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 - (ञ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/011, द्वारा

- (ट) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2020/17, द्वारा
- (ठ) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2020/18, द्वारा
- (ड) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2020/21, द्वारा
- (ढ) 28 सितम्बर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/31, द्वारा
- (ण) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन/2021/03, द्वारा
- (त) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/18, द्वारा
- (थ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- (द) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/45, द्वारा
- (ध) 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/52, द्वारा
- (न) 14 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2022/63, द्वारा
- (प) 27 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/82, द्वारा
- (फ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/90, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 21st November, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/107.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely:—

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:
 - Provided that the amendments to paragraph (9) of Part A of Schedule VI shall be applicable for all issues where Red Herring Prospectus is filed with the Registrars of Companies on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -
 - I. in regulation 25, in sub-regulation (1) the words "with the concerned regional office of the Board under the jurisdiction of which the registered office of the issuer company is located" shall be substituted with the words "with the Board".
 - II. after Chapter II and before Chapter III, the following Chapter IIA shall be inserted, namely, -

"Chapter IIA

INITIAL PUBLIC OFFER ON MAIN BOARD THROUGH PRE-FILING OF DRAFT OFFER DOCUMENT Definitions

- **59A.** In this Chapter, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "pre-filed draft offer document" shall mean draft offer document filed with the Board under this Chapter;
 - (b) "pre-filed offer document" shall mean pre-filed draft offer document or updated draft red herring prospectus-I or updated draft red herring prospectus-II with the Board under this Chapter;
 - (c) "updated draft red herring prospectus-I" shall mean the updated pre-filed draft offer document filed with the Board after complying with the observations issued by the Board on such pre-filed draft offer document:
 - (d) "updated draft red herring prospectus-II" shall mean the updated draft red herring prospectus-I filed with the Board after incorporating the comments of the public received on such updated draft red herring prospectus-I.

Application of this Chapter

- 59B. (1) In lieu of an initial public offer of specified securities on the Main Board under Chapter-II of these regulations, the issuer may make an initial public offer of specified securities in accordance with the provisions of this Chapter.
 - (2) Except for anything contrary provided in this Chapter, the provisions of Chapter-II shall *mutatis mutandis* apply in relation to the initial public offer made under the provisions of this Chapter:
 - Provided that regulation 8 and regulation 15 of these regulations shall apply at the stage of filing of the updated draft red herring prospectus-I.

Pre-filing of draft offer document with the Board and Stock Exchanges

- **59C.** (1) Prior to making an initial public offer, the issuer may file three copies of the draft offer document with the Board, in accordance with **Schedule IV**, along with fees as specified in **Schedule III**, through the lead manager(s).
 - (2) The issuer shall also file the pre-filed draft offer document with the stock exchange(s) where the specified securities are proposed to be listed and submit to the stock exchange(s); the Permanent Account Number, bank account number and passport number of its promoters where they are individuals and the Permanent Account Number, bank account number, company registration number or equivalent and the address of the Registrar of Companies with which the promoter is registered; where the promoter is a body corporate.
 - (3) The pre-filed draft offer document filed under sub-regulation (1) shall not be available in the public domain.
 - (4) The lead manager(s) shall submit the following to the Board along with the pre-filed draft offer document:
 - (a) a certificate, confirming that an agreement has been entered into between the issuer and the lead manager(s);
 - (b) a due diligence certificate as per Form AA of Schedule V;
 - (c) in case of an issue of convertible debt instruments, a due diligence certificate from the debenture trustee as per **Form B** of **Schedule V**;
 - (d) an undertaking from the issuer and the lead manager that they shall not conduct marketing or advertisement for the intended issue, in the format as may be specified by the Board from time to time:

Provided that all public communications issued or published in any media during the period commencing from the date of the meeting of the board of directors of the issuer in which the public issue is approved till the date of filing of updated draft red herring prospectus-I or withdrawal of pre-filed draft offer document shall be consistent with its past practices.

(5) The issuer shall, within two days of pre-filing the draft offer document, make a public announcement in one English national daily newspaper with wide circulation, one Hindi national daily newspaper with wide circulation and one regional language newspaper with wide circulation at the place where the registered office of the issuer is situated, disclosing the fact of filing of pre-filing of the draft offer document without providing any other details in relation to the intended issue:

Provided that the issuer shall state in the public announcement that the pre-filing of offer document shall not necessarily mean that the issuer shall undertake the initial public offering.

- (6) The Board may recommend changes or issue observations, if any, on the pre-filed draft offer document within thirty days from the later of the following dates:
 - (a) the date of receipt of the pre-filed draft offer document under sub-regulation (1); or
 - (b) the date of receipt of satisfactory reply from the lead manager(s), where the Board has sought any clarification or additional information from them; or
 - (c) the date of receipt of clarification or information from any regulator or agency, where the Board has sought any clarification or information from such regulator or agency; or
 - (d) the date of receipt of a copy of in-principle approval letter issued by the stock exchange(s);or
 - (e) date of intimation of completion of interaction with the qualified institutional buyers in terms of regulation 59D of these regulations; or

- (f) date of intimation to the Board about the conversion of outstanding convertible securities or exercise of any other right which would entitle any person with any option to receive equity shares in terms of regulation 59E of these regulations.
- (7) If the Board recommends any changes or issues observations on the pre-filed draft offer document, the issuer and the lead manager(s) shall carry out such changes in the pre-filed draft offer document and shall submit to the Board an updated draft red herring prospectus-I complying with the observations issued by the Board:
- Provided that there shall be a minimum gap of seven working days between the date of intimation to the Board about the completion of interaction with the qualified institutional buyers in accordance with regulation 59D of these regulations and the date of filing of the updated draft red herring prospectus-I.
- Explanation: For the purpose of this regulation, an updated draft red herring prospectus-I shall be complete in all respects and shall be in compliance with the provisions of these regulations and to the other applicable laws as the case may be.
- (8) The lead manager(s) shall submit the following documents to the Board after issuance of observations by the Board:
 - (a) a statement certifying that all changes, suggestions and observations made by the Board have been incorporated in the offer document;
 - (b) a due diligence certificate as per **Form CA** of **Schedule V**, at the time of filing of the offer document;
- (9) The updated draft red herring prospectus-I shall be made public for comments, if any, for a period of at least twenty one days from the date of filing, by hosting it on the websites of the Board, the stock exchanges where the specified securities are proposed to be listed and that of the lead manager(s) associated with the issue:
- Provided that pursuant to the filing of the updated draft red herring prospectus-I, all public communication, publicity material, advertisements and research reports shall comply with the provisions of **Schedule IX**.
- (10) The issuer shall, within two days of filing the updated draft red herring prospectus-I, make a public announcement in one English national daily newspaper with wide circulation, one Hindi national daily newspaper with wide circulation and one regional language newspaper with wide circulation at the place where the registered office of the issuer is situated, disclosing the fact of filing of the updated draft red herring prospectus-I and inviting the public to provide their comments to the Board, the issuer or the lead manager(s) in respect of the disclosures made in the updated draft red herring prospectus-I.
- (11) The lead manager(s) shall, after expiry of the period stipulated in sub-regulation (9), file with the Board, the details of the comments received by them or the issuer from the public, on the updated draft red herring prospectus-I, during that period and the consequential changes, if any, that are required to be made in the updated draft red herring prospectus-I.
- (12) The issuer and the lead manager(s) shall carry out such changes in the updated draft red herring prospectus-I and shall submit to the Board an updated draft red herring prospectus-II before filing the offer document with the Registrar of Companies or an appropriate authority, as applicable.
 - (13) The lead manager(s) shall submit the following documents to the Board before filing the offer document with the Registrar of Companies:
 - (a) a statement certifying that all changes, suggestions and observations made by the Board have been incorporated in the offer document;
 - (b) a due diligence certificate as per Form CA of Schedule V, at the time of filing of the offer document;

- (c) a copy of the resolution passed by the board of directors of the issuer for allotting specified securities to promoter(s) towards amount received against promoters' contribution, before opening of the issue;
- (d) a certificate from a statutory auditor, before opening of the issue, certifying that promoters' contribution has been received in accordance with these regulations, accompanying therewith the names and addresses of the promoters who have contributed to the promoters' contribution and the amount paid and credited to the issuer's bank account by each of them towards such contribution;
- (e) a due diligence certificate as per **Form DA** of **Schedule V**, in the event the issuer has made a disclosure of any material development by issuing a public notice pursuant to para 4 of **Schedule IX**.
- (14) The copy of the offer document shall also be filed promptly with the Board and the stock exchange(s) through the lead manager(s) after filing the offer documents with the Registrar of Companies.
- (15) The pre-filed draft offer document and the offer document shall also be furnished to the Board in a soft copy.
- (16) The issuer and the lead manager(s) shall ensure that the offer documents are hosted on the websites as required under these regulations and that its contents are the same as the versions filed with the Registrar of Companies, the Board and the stock exchanges, as may be applicable.
- (17) The lead manager(s) and the stock exchanges shall provide the copies of the offer document to the public as and when requested and may charge a reasonable sum for providing the same.

Interaction with qualified institutional buyers

- 59D. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the provisions of this Chapter, an issuer may interact with the qualified institutional buyers for limited marketing of the intended issue from the time of pre-filing the draft offer document till the Board issues any observations on such pre-filed draft offer document.
 - (2) The interaction specified under sub-regulation (1) shall be restricted to the information contained in the pre-filed draft offer document.
 - (3) In case the issuer interacts with the qualified institutional buyers in terms of sub-regulation (1) and sub-regulation (2) above, the issuer and lead manager(s) shall prepare a list of the qualified institutional buyers who have participated in such interaction(s).
 - (4) The issuer and the lead manager(s) shall submit to the Board confirmation of closure of interaction(s) with the qualified institutional buyers.

General Conditions

- **59E.** (1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of these regulations, subject to intimation to the Board and the stock exchanges, an issuer opting for initial public offer through pre-filing the draft offer document in terms of the provisions of this Chapter shall, till the Board recommends any changes or issues observations on the pre-filed draft offer document, be permitted the following:
 - (a) Existence of outstanding convertible securities or any other right which would entitle any person with any option to receive equity shares of the issuer:

Provided that the issuer shall mandatorily convert such outstanding convertible securities or exercise any other right which would entitle any person with any option to receive equity shares of the issuer and intimate such act of conversion to the Board before the Board recommends any changes or issues observations on the pre-filed draft offer document:

Provided further that the following shall be permitted even after the issuance of observations by the Board on the pre-filed draft offer document:

- (i) Existence of outstanding options granted to employees, whether currently an employee or not, pursuant to an employee stock option scheme in compliance with the Companies Act, 2013, the relevant Guidance Note or accounting standards, if any, issued by the Institute of Chartered Accountants of India or pursuant to the Companies Act, 2013, in this regard;
- (ii) Existence of fully paid-up outstanding convertible securities which are required to be converted on or before the date of filing of the red herring prospectus (in case of book-built issues) or the prospectus (in case of fixed price issues), as the case may be;
- (b) Issue of specified securities;
- (c) Issue such convertible securities that are mandatorily and compulsorily convertible into equity shares at the time of filing of offer document, provided the details for such securities are given in the updated draft red herring prospectus-I in relation to the maximum number of shares in which such convertible securities shall be converted.
 - (2) If there are any changes in the pre-filed draft offer document after the Board recommends any changes or issues observations on such pre-filed draft offer document in relation to the matters specified in **Schedule XVI-A**, an updated pre-filed draft offer document or a fresh pre-filed draft offer document, as the case may be, shall be filed with the Board along with fees specified in **Schedule III**.

Explanation: For the purpose of this regulation, changes made in the pre-filed draft offer document in relation to the matters specified in clause (1) of **Schedule XVIA** before the Board recommends any changes or issues observations on the pre-filed draft offer document shall not require fresh filing of such pre-filed draft offer document.

- (3) If there are any changes in the updated draft red herring prospectus-I in relation to the matters specified in **Schedule XVI**, an updated pre-filed offer document or a fresh draft offer document under Chapter II or fresh pre-filed draft offer document, as the case may be, shall be filed with the Board along with fees specified in **Schedule III**.
- (4) Subject to the compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, a public issue may be opened within eighteen months from the date of issuance of the observations by the Board under regulation 59C of these regulations:

Provided that the issuer shall file updated draft red herring prospectus-I with the Board and the stock exchanges in terms of regulation 59C of these regulations within sixteen months from the date of issuance of the observations by the Board."

- III. in regulation 71, in sub-regulation (1) the words "with the concerned regional office of the Board under the jurisdiction of which the registered office of the issuer company is located" shall be substituted with the words "with the Board".
- IV. in regulation 123, in sub-regulation (1) the words "with the concerned regional office of the Board under the jurisdiction of which the registered office of the issuer company is located" shall be substituted with the words "with the Board".
 - V. after regulation 162, the following regulation (162A) shall be inserted, namely, -

"Monitoring agency

162A. (1) If the issue size exceeds one hundred crore rupees, the issuer shall make arrangements for the use of proceeds of the issue to be monitored by a credit rating agency registered with the Board:

Provided that nothing contained in this clause shall apply to an issue of specified securities made by a bank or public financial institution or an insurance company.

(2) The monitoring agency shall submit its report to the issuer in the format specified in Schedule XI on a quarterly basis, till hundred percent of the proceeds of the issue have been utilised.

- (3) The board of directors and the management of the issuer shall provide their comments on the findings of the monitoring agency as specified in Schedule XI.
- (4) The issuer shall, within forty five days from the end of each quarter, upload the report of the monitoring agency on its website and also submit the same to the stock exchange(s) on which its equity shares are listed."
- VI. in regulation 164A, in sub-regulation (6),
 - (a) in clause (a), the words and symbols "public financial institution or by a scheduled commercial bank, which is not a related party to the issuer" shall be substituted with the words "credit rating agency registered with the Board";
 - (b) in clause (a), in sub-clause (i), the words "until at least ninety five percent" shall be substituted with the words "till hundred percent."
- VII. after regulation 173, the following regulation (173A) shall be inserted, namely, -

"Monitoring agency

173A. (1) If the issue size, excluding the size of offer for sale by selling shareholders, exceeds one hundred crore rupees, the issuer shall make arrangements for the use of proceeds of the issue to be monitored by a credit rating agency registered with the Board:

Provided that nothing contained in this clause shall apply to an issue of specified securities made by a bank or public financial institution or an insurance company.

- (2) The monitoring agency shall submit its report to the issuer in the format specified in Schedule XI on a quarterly basis, till hundred percent of the proceeds of the issue have been utilised.
- (3) The board of directors and the management of the issuer shall provide their comments on the findings of the monitoring agency as specified in Schedule XI.
- (4) The issuer shall, within forty five days from the end of each quarter, upload the report of the monitoring agency on its website and also submit the same to the stock exchange(s) on which its equity shares are listed."
- VIII. in Schedule III, in the title, after numbers and symbols "25 (6)", the numbers and symbols "59C (1), 59E (2), 59E (3)" shall be inserted.

IX. in Schedule IV,

- (i) in the title, after numbers and symbols "25 (1)", the numbers and symbols "59C (1)" shall be inserted.
- (ii) the words and symbol "with the relevant office of the Board under the jurisdiction of which the registered office of the issuer company is located, based on the estimated issue size as may be specified by the Board from time to time." shall be substituted with the words, numbers and symbols "at the Head Office of the Board, situated at: SEBI Head Office, SEBI Bhavan, Plot No. C4-A, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai –400051."

X. in Schedule V,

- (i) in the title, after numbers and symbols "25 (2) (b)", the numbers and symbols "59C (4), 59C (13)" shall be inserted.
- (ii) after Form-A, the following form (Form AA) shall be inserted, namely-

"Form AA - Format of due diligence certificate to be given by the lead manager(s) along with the pre-filed draft offer document

[See regulation 59A]

To,

Securities and Exchange Board of India

Dear Sirs,

We confirm that:

- (1) We have examined various documents including those relating to litigation, commercial disputes, patent disputes, disputes with collaborators, etc. and other material while finalising the pre-filed draft offer document of the subject issue;
- (2) On the basis of such examination and discussions with the issuer, its directors and other officers, other agencies, and independent verification of the statements concerning the objects of the issue, price justification, contents of the documents and other papers furnished by the issuer, we confirm that:
- (a) the pre-filed draft offer document is in conformity with the documents, materials and papers which are material to the issue;
- (b) all material legal requirements relating to the issue as specified by the Board, the Central Government and any other competent authority in this behalf have been duly complied with; and
- (c) the material disclosures made in the pre-filed draft offer document are true and adequate to enable the investors to make a well informed decision as to the investment in the proposed issue and such disclosures are in accordance with the requirements of the Companies Act, 2013, these regulations and other applicable legal requirements.
- (3) Besides us, all intermediaries named in the pre-filed draft offer document are registered with the Board and till date; such registration is valid.
- (4) We have satisfied ourselves about the capability of the underwriters to fulfil their underwriting commitments.
- (5) Written consent from the promoters has been obtained for inclusion of their specified securities as part of the promoters' contribution subject to lock-in and the specified securities proposed to form part of the promoters' contribution that are subject to lock-in shall not be disposed or sold or transferred by the promoters during the period starting from the date of pre-filing the draft offer document with the Board till the date of commencement of lock-in period as stated in the draft offer document.
- (6) All applicable provisions of these regulations, which relate to specified securities ineligible for computation of promoters' contribution, have been and/or shall be duly complied with and appropriate disclosures as to compliance with the said regulation(s) have been made in the pre-filed draft offer document.
- (7) All applicable provisions of these regulations which relate to receipt of promoters' contribution prior to opening of the issue, shall be complied with. Arrangements have been made to ensure that the promoters' contribution shall be received at least one day before the opening of the issue and that the auditors' certificate to this effect shall be duly submitted to the Board. We further confirm that arrangements have been made to ensure

that the promoters' contribution shall be kept in an escrow account with a scheduled commercial bank and shall be released to the issuer along with the proceeds of the issue.

- (8) Necessary arrangements shall be made to ensure that the monies received pursuant to the issue are credited or transferred to in a separate bank account as per the provisions of sub-section (3) of section 40 of the Companies Act, 2013 and that such monies shall be released by the said bank only after permission is obtained from all the stock exchanges, and that the agreement entered into between the bankers to the issue and the issuer specifically contains this condition.
- (9) The existing business as well as any new business of the issuer for which the funds are being raised fall within the 'main objects' in the Object Clause of the Memorandum of Association or other Charter of the issuer and that the activities which have been carried in the last ten years are valid in terms of the object clause of the Memorandum of Association.
- (10) Following disclosures have been made in the pre-filed draft offer document:
- (a) An undertaking from the issuer that at any given time, there shall be only one denomination for the equity shares of the issuer, excluding SR equity shares, where an issuer has outstanding SR equity shares, and
- (b) An undertaking from the issuer that it shall comply with all disclosures and accounting norms specified by the Board.
- (11) We shall comply with the regulations pertaining to advertisements in terms of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

We enclose a note explaining the process of due diligence that has been exercised by us including in relation to the business of the issuer, the risks in relation to the business, experience of the promoters and that the related party transactions entered into for the period disclosed in the offer document have been entered into by the issuer in accordance with applicable laws.

We enclose a checklist confirming regulation-wise compliance with the applicable provisions of these regulations, containing details such as the regulation number, its text, the status of compliance, page number of the pre-filed draft offer document where the regulation has been complied with and our comments, if any.

We also enclose plan of action for compliance with Regulation 8 and Regulation 15.

Place: Lead Manager(s) to the Issue

Date: with Official Seal(s)"

(iii) in Form C-

- (a) Before the title, after word, numbers and symbols "regulation 25 (9) (b)", the numbers and symbols "59C (13)" shall be inserted.
- (b) In clause 4, the words "with the Board till date" shall be substituted with the words "or pre-filing offer document with the Board till date".
- XI. in Schedule V, after Form-C and before Form-D, the following Form-CA shall be inserted, namely-

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25

"FORM CA - FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE LEAD MANAGER(S) AT THE TIME OF FILING THE UPDATED DRAFT RED HERRING PROSPECTUS-I

[See regulation 59C	(8) and 59C (13)]
To,	
Securities and Exchange Board of India	
Dear Sirs,	
Sub.: Public/Rights Issue of by	(Name of the issuer)
We confirm that:	
(1) The updated draft red herring prospectus-I/upd may be, filed with the Board contains all the mate said date.	
(2) The registration of all intermediaries named in none of these intermediaries have been debarred by	
(3) Written consent from the promoter(s) has been of promoters' contribution, subject to lock-in.	obtained for inclusion of their securities as part of
(4) The securities proposed to form part of the pro- not been disposed or sold or transferred by the pro- filing the pre-filed draft offer document with the Bo	noters during the period starting from the date of
(5) Agreements have been entered into with the depthe issuer.	ositories for dematerialisation of the securities of
Place:	
Tiace.	Lead Manager(s) to the Issue
Date:	Lead Manager(s) to the Issue with Official Seal(s)"
	with Official Seal(s)"
Date: in Schedule V, after Form-D and before Form-E, th "FORM DA - FORMAT OF DUE DILIGEN LEAD MANAGER(S) IN THE EVENT OF	with Official Seal(s)"
Date: in Schedule V, after Form-D and before Form-E, th "FORM DA - FORMAT OF DUE DILIGEN LEAD MANAGER(S) IN THE EVENT OF AFTER THE FILING OF	with Official Seal(s)" e following Form DA shall be inserted, namely, - CE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE F DISCLOSURE OF MATERIAL EVENTS
Date: in Schedule V, after Form-D and before Form-E, th "FORM DA - FORMAT OF DUE DILIGEN LEAD MANAGER(S) IN THE EVENT OF AFTER THE FILING OF	with Official Seal(s)" e following Form DA shall be inserted, namely, - CE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE F DISCLOSURE OF MATERIAL EVENTS THE OFFER DOCUMENT
Date: in Schedule V, after Form-D and before Form-E, th "FORM DA - FORMAT OF DUE DILIGEN LEAD MANAGER(S) IN THE EVENT OF AFTER THE FILING OF [See regulat	with Official Seal(s)" e following Form DA shall be inserted, namely, - CE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE F DISCLOSURE OF MATERIAL EVENTS THE OFFER DOCUMENT
Date: in Schedule V, after Form-D and before Form-E, th "FORM DA - FORMAT OF DUE DILIGEN LEAD MANAGER(S) IN THE EVENT OF AFTER THE FILING OF [See regulators,	with Official Seal(s)" e following Form DA shall be inserted, namely, - CE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE F DISCLOSURE OF MATERIAL EVENTS THE OFFER DOCUMENT
Date: in Schedule V, after Form-D and before Form-E, th "FORM DA - FORMAT OF DUE DILIGEN LEAD MANAGER(S) IN THE EVENT OF AFTER THE FILING OF [See regulat To, Securities and Exchange Board of India Dear Sirs,	with Official Seal(s)" e following Form DA shall be inserted, namely, - CE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE F DISCLOSURE OF MATERIAL EVENTS THE OFFER DOCUMENT ion 59C (13)]
Date: in Schedule V, after Form-D and before Form-E, the "FORM DA - FORMAT OF DUE DILIGEN LEAD MANAGER(S) IN THE EVENT OF AFTER THE FILING OF [See regulated To, Securities and Exchange Board of India Dear Sirs, Sub.: Public/Rights Issue of	with Official Seal(s)" e following Form DA shall be inserted, namely, - CE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE F DISCLOSURE OF MATERIAL EVENTS THE OFFER DOCUMENT

XII.

Date:

- XIII. in Part A of Schedule VI, in paragraph (9) under the heading "(K) Basis for Issue Price:", the following shall be inserted after clause (2), namely, -
 - "(3) For all the Key Performance Indicators (KPIs) disclosed in the offer document, the Issuer Company and the lead merchant bankers (LMs) shall ensure the following:
 - (a) KPIs disclosed in the offer document and the terms used in KPIs shall be defined consistently and precisely in the "Definitions and Abbreviations" section of the offer document using simple English terms /phrases so as to enable easy understanding of the contents. Technical terms, if any, used in explaining the KPIs shall be further clarified in simple terms.
 - (b) KPIs disclosed in the offer document shall be approved by the Audit Committee of the Issuer Company.
 - (c) KPIs disclosed in the offer document shall be certified by the statutory auditor(s) or Chartered Accountants or firm of Charted Accountants, holding a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India or by Cost Accountants, holding a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Cost Accountants of India.
 - (d) Certificate issued with respect to KPIs shall be included in the list of material documents for inspection.
 - (e) For each KPI being disclosed in the offer document, the details thereof shall be provided for period which will be co-terminus with the period for which the restated financial information is disclosed in the offer document.
 - (f) KPIs disclosed in the offer document should be comprehensive and explanation shall be provided on how these KPIs have been used by the management historically to analyse, track or monitor the operational and/or financial performance of the Issuer Company.
 - (g) Comparison of KPIs over time shall be explained based on additions or dispositions to the business, if any. For e.g. in case the Issuer Company has undertaken a material acquisition or disposition of assets / business for the periods that are covered by the KPIs, the KPIs shall reflect and explain the same.
 - (h) For 'Basis for Issue Price' section, the following disclosures shall be made:
 - (i) Disclosure of all the KPIs pertaining to the Issuer Company that have been disclosed to its investors at any point of time during the three years preceding to the date of filing of the DRHP / RHP.
 - (ii) Confirmation by the Audit Committee of the Issuer Company that verified and audited details for all the KPIs pertaining to the Issuer Company that have been disclosed to the earlier investors at any point of time during the three years period prior to the date of filing of the DRHP / RHP are disclosed under 'Basis for Issue Price' section of the offer document.
 - (iii) Issuer Company in consultation with the lead merchant banker may make disclosure of any other relevant and material KPIs of the business of the Issuer Company as it deems appropriate that have a bearing for arriving at the basis for issue price.
 - (iv) Cross reference of KPIs disclosed in other sections of the offer document to be provided in the 'Basis for Issue Price' section of the offer document.
 - (v) For the KPIs disclosed under the 'Basis for Issue Price' section, disclosure of the comparison with Indian listed peer companies and/ or global listed peer companies, as the case may be (wherever available). The set of peer companies shall include companies of comparable size, from the same industry and with similar business model (if one to one comparison is not possible, appropriate notes to explain the differences may be included).

- (i) The Issuer Company shall continue to disclose the KPIs which were disclosed in the 'Basis for Issue Price' section of the offer document, on a periodic basis, at least once in a year (or for any lesser period as determined by the Issuer Company), for a duration that is at least the later of (i) one year after the listing date or period specified by the Board; or (ii) till the utilization of the issue proceeds as per the disclosure made in the objects of the issue section of the prospectus. Any change in these KPIs, during the aforementioned period, shall be explained by the Issuer Company. The ongoing KPIs shall continue to be certified by a member of an expert body as per clause 3(c).
- (4) For issue price, floor price or price band, as the case may be, disclosed in the offer document, the Issuer Company and the lead merchant banker (LMs) shall disclose the details with respect to the following:
 - (a) Price per share of Issuer Company based on primary / new issue of shares (equity/convertible securities), excluding shares issued under ESOP/ESOS and issuance of bonus shares, during the 18 months preceding the date of filing of the DRHP / RHP, where such issuance is equal to or more than 5 per cent of the fully diluted paid-up share capital of the Issuer Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days; and
 - (b) Price per share of Issuer Company based on secondary sale / acquisition of shares (equity/convertible securities), where promoter / promoter group entities or shareholder(s) selling shares through offer for sale in IPO or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board of the Issuer Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of filing of the DRHP / RHP, where either acquisition or sale is equal to or more than 5 per cent of the fully diluted paid-up share capital of the Issuer Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.
 - Note: 1. In case there are no such transactions to report under (a) and (b), then the information shall be disclosed for price per share of the Issuer Company based on last 5 primary or secondary transactions (secondary transactions where promoter / promoter group entities or shareholder(s) selling shares through offer for sale in IPO or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board of the Issuer Company, are a party to the transaction), not older than 3 years prior to the date of filing of the DRHP / RHP, irrespective of the size of transactions.
 - 2. Price per share disclosed, shall be adjusted for corporate actions e.g. split, bonus etc. done by the Issuer Company.
 - (c) Floor price and cap price being [●] times the weighted average cost of acquisition (WACA) based on primary/ secondary transaction(s) as disclosed in terms of clause (a) and (b) or Note 1 above, shall be disclosed in the following manner:

Past Transactions	WACA (in Rs.)	IPO Floor Price in Rs. [•]	IPO Cap Price in Rs. [•]
WACA of Primary issuance		[●] times	[●] times
WACA of Secondary transactions		[•] times	[•] times

(d) Detailed explanation for offer price / cap price being [●] times of WACA of Primary issuance price / Secondary transaction price, along with comparison of Issuer Company's KPIs and

- financials ratios for the last three full financial years and stub period (if any) included in the offer document.
- (e) Explanation for offer price / cap price being [●] times of WACA of Primary issuance price / Secondary transaction price in view of the external factors which may have influenced the pricing of the issue, if any.
- (f) Table at para (c) above shall be disclosed in the Price Band Advertisement under 'Risks to Investors' section. Recommendation of a Committee of Independent Directors to be included in the price band advertisement stating that the price band is justified based on quantitative factors / KPIs disclosed in 'Basis for Issue Price' section vis-à-vis the WACA of primary issuance / secondary transaction(s) disclosed in 'Basis for Issue Price' section."
- XIV. in Schedule IX, in the title, after words and number "regulation 42", the number and symbols "59C (8), 59C (9), 59C (13)" shall be inserted.
- XV. in Schedule XVI, in the title, after words, numbers and symbols "regulation 25(6)", the number and symbols "59E (3)" shall be inserted.
- XVI. after Schedule XVI, the following Schedule (Schedule XVI-A) shall be inserted, namely-

"SCHEDULE XVI-A - NATURE OF CHANGES IN THE OFFER DOCUMENT REQUIRING FILING OF UPDATED OFFER DOCUMENT

[See regulation 59E (2)]

- (1) Changes which require fresh filing of the pre-filed draft offer document or draft offer document with the Board, along with fees:
- (a) If changes are made in the pre-filed draft offer document after receipt of observations or comments from the Board with respect to any of the following, the issuer shall file the fresh pre-filed draft offer document or draft offer document with the Board in terms of the applicable provisions of these regulations, along with the fees as specified in Schedule III:
- (i) Change in the promoter of the issuer.
- (ii) Change in more than half of the board of directors of the issuer.
- (iii) Change in the main objects clause of the issuer.
- (iv) Any addition to the objects of the issue resulting in an increase in the estimated issue size or estimated means of finance by more than fifty per cent.
- (v) If there are grounds to believe that there is an exacerbation of risk on account of deletion of an object resulting in a decrease in issue size by more than fifty per cent.
- (vi) In case of a fresh issue, any increase or decrease in the estimated issue size by more than fifty percent.
- (vii) In case of an offer for sale, any increase or decrease in the number of shares offered for sale or the estimated issue size, by more than fifty percent.
- (viii) In case of an issue comprising of both fresh issue and offer for sale, any increase or decrease in the respective limits as specified in clause (vi) and clause (vii).
- (ix) Any increase in estimated deployment in any of the objects of the issue by more than twenty per cent.
- (b) Changes which may result in non-compliance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and the lead manager(s) or issuer do not intend to seek relaxation under regulation 303 of the said regulations.

(2) Changes which require filing of the updated pre-filed offer document with the Board, along with fees:

- (a) If changes are made in the pre-filed offer document with respect to any of the following, the issuer shall file an updated offer document with the Board, along with payment of fees as specified in Schedule III:
- (i) **Section 1: Risk Factors:** Any material development which may result in potential risk and may require updation in this section.
- (ii) **Section 2: Capital Structure:** An aggregate increase of 5 percent or more in the shareholding of the promoter or promoter group or an aggregate increase of 5 per cent. or more in the shareholding of the top ten shareholders.
- (iii) **Section 3: Issue Size:** Any addition or deletion to the objects of the issue resulting in a change in the estimated issue size or estimated means of finance by more than 10 percent and not exceeding 20 per cent.
- (iv) **Section 4:** Management: Appointment of any new director.
- (v) Section 5: Promoter Group: Any addition to the promoter group or group companies.
- (vi) **Section 6:** Financial Statements: Any variation in net profit after tax or net loss and/ or extraordinary items in excess of 10 percent over the last updated financials included in the draft offer document.
- (vii) **Section 7:** Legal and other information: Any new litigation or any development about a pending litigation which is considered material by the lead manager(s).
- (b) After filing the updated offer document with the Board, the issuer may proceed with the issue after receiving a confirmation to this effect from the Board.
- (3) Changes which require filing of the updated offer document with the Board, without fees:

All other changes or updations in the pre-filed offer document which are not covered under paras (1) and (2) above shall be carried out in the offer document and the updated offer document shall be filed with the Board without any fees."

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./422/2022-23]

Footnotes:

- The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -
 - (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
 - (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.
 - (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.

- (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.
- (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.
- (f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.
- (g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.
- (h) January 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.
- (i) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (j) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.
- (k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.
- (l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.
- (m) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.
- (n) September 28, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/31.
- (o) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/03.
- (p) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/18.
- (q) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (r) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/45.
- (s) October 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/52.

- (t) January 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/ 63.
- (u) April 27, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/82.
- (v) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/90.